

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)



RBA No.22 / 2022

No.2017/ACII/9/4/e

New Delhi, dated: 15 .03.2022


PFA
All Indian Railways.

Sub: Clarification regarding reimbursement of MDR Charges on Debit Card Transactions .

References have been received from Railways seeking clarification whether MDR charges on card based payments shall be borne by Government of India or the customer.

The matter has been examined and it is advised that Controller General of Accounts/ Ministry of Finance's vide O.M. No. R-12001/8/2020-GBA-CGA-Part(2) / 1199-1250 dated 22nd October, 2021 has clarified that the payment of government revenue, whether tax or non-tax by any card other than RuPay Debit Card would attract applicable MDR charges as per the Card agreement **and shall be payable by the card holder**. The applicable MDR, in such cases, would be in addition to the government revenue and to be paid by the payer. Full amount equal to the government revenue so collected shall be settled by the Bank with the RBI. The Acquirer Banks/ Payment Gateways shall not in any circumstances deduct MDR/other charges from the amount of Government revenue remitted by the customer. The Government of India would not bear any MDR charges. These have to be paid by the customer paying government revenue.

Kindly acknowledge receipt.


(Sanjeev Sharma)
OSD/Accounts
Railway Board
Ph No. 23047137

E mail ID: sanjeev.sharma1@nic.in

Copy to

1. Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Mahalekha Niyantarak Bhawan, E-Block, GPO Complex, Behind DDA Headquarters, Vikas Sadan, INA Colony, New Delhi.
2. Chief General Manager, State Bank of India, Government Banking Unit, Corporate Centre, 2nd Floor, Main Branch Building, 11, Sansad Marg, New Delhi.
3. CMD/MD All PSBs, Axis Bank, ICICI Bank, HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

आरबीए सं.22/2022

सं.2017/ एसी-II/9/4/ई

नई दिल्ली, दिनांक: 15.03.2022

प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें।

विषय:- डेबिट कार्ड लेन-देन पर एमडीआर प्रभारों की प्रतिपूर्ति के संबंध में स्पष्टीकरण।

रेलों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें स्पष्टीकरण मांगा गया है कि कार्ड आधारित भुगतान पर एमडीआर प्रभार भारत सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे या ग्राहक द्वारा वहन किए जाएंगे।

मामले की जांच करवाई गई है और सूचित किया जाता है कि महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय के दिनांक 22.10.2021 के कार्यालय ज्ञापन सं.आर-12001/8/2020 -जीबीए-सीजीए-पार्ट (2)/1199-1250 के तहत स्पष्ट किया गया है कि रूपे डेबिट कार्ड से इतर किसी भी अन्य कार्ड द्वारा सरकारी राजस्व, चाहे कर हो या गैर-कर हो, का भुगतान करने पर कार्ड करार के अनुसार एमडीआर प्रभार लागू होंगे और कार्डधारक द्वारा देय होंगे। ऐसे मामलों में लागू एमडीआर सरकारी राजस्व के अतिरिक्त होगा और इसका भुगतान अदाकर्ता द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार वसूल की गई सरकारी राजस्व के समतुल्य पूरी राशि का बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ निपटान किया जाएगा। अधिग्राहक बैंक/पेमेंट गेटवे द्वारा किसी भी परिस्थिति में ग्राहक द्वारा विप्रेषित सरकारी राजस्व की राशि से एमडीआर/अन्य प्रभार की कटौती नहीं की जाएगी। भारत सरकार किसी भी एमडीआर प्रभार का वहन नहीं करेगी। इन प्रभारों का भुगतान सरकारी राजस्व का भुगतान करने वाले ग्राहक द्वारा किया जाएगा।

कृपया पावती दें।



(संजीव शर्मा)

विशेष कार्य अधिकारी/ लेखा

रेलवे बोर्ड

फोन नं.23047137

प्रतिलिपि:

1. महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, महालेखा नियंत्रक भवन, ई-ब्लॉक, जीपीओ काम्पलेक्स, डीडीए मुख्यालय के पीछे, विकास सदन, आईएनए कॉलोनी, नई दिल्ली।
2. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी बैंकिंग यूनिट, कॉरपोरेट सेंटर, दूसरा तल, मेन ब्रांच बिल्डिंग, 11 संसद मार्ग, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक।